

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-2439-औस/2013-11(1)ए०एस०/2009

दिनांक 31 अगस्त, 2013

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की दिनांक 31.03.2014 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1568-औस/2013-11(1) ए०एस०/2013 दिनांक 23.05.2013 में लम्बित एक चिकित्सालय द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने हेतु पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17/पाकालि/02 दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2012-11(1) ए०एस०/2009 दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1568-औस/2013-11(1) ए०एस०/2009 दिनांक 23.05.2013 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालय की मान्यता दि० 31.05.2013 के उपरान्त अग्रेतर दि० 01.06.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक के लिए एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है:-

जनपद	चिकित्सालय का नाम	मान्यता की अवधि
बरेली	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गाँधीनगर, पीलीभीत रोड़, बरेली	31.03.2014

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैद्य पंजीयन प्रमाणपत्र यदि दिनांक 31.03.2014 से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगी कि दिनांक 31.03.2014 से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: -2439- औस/2013-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कार्पोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अम्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त उप महाप्रबन्धक (औ०स०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

क्रमशः.....2/....

Nv

- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- ✓ 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे चिकित्सालय को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 13- महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- प्रबन्धक, धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गाँधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।
- 15- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 16- कट फाइल।

Not Matter
(नवनीत माथुर) 30.8.13
कार्मिक अधिकारी